



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092024-257161
CG-DL-E-13092024-257161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3601]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946

No. 3601]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2024

एथिलीन डाइक्लोराइड (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 3936(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एथिलीन डाइक्लोराइड (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन डाइक्लोराइड (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2024 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- एथिलीन डाइक्लोराइड (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 के पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) यह 12 मार्च, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. पीसीटी-59011/48/2024-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 3928(अ) तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्याक का.आ. 1070(अ), तारीख 10 मार्च, 2022, का.आ. 4137(अ), तारीख 2 सितंबर, 2022, का.आ. 1124(अ), तारीख 9 मार्च, 2023 और का.आ. 1108(अ), तारीख 6 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2024

ETHYLENE DICHLORIDE (QUALITY CONTROL) AMENDMENT, ORDER, 2024

S.O. 3936(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Ethylene Dichloride (Quality Control) Order, 2021, namely: -

- (1) This order may be called the Ethylene Dichloride (Quality Control) Second Amendment Order, 2024.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Ethylene Dichloride (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 12th day of March, 2025”.

[F. No. PCT-59011/48/2024-PC.TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3928(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 1070(E), dated the 10th March, 2022, S.O. 4137(E), dated the 2nd September, 2022, S.O. 1124(E), dated the 9th March, 2023 and S.O. 1108(E), dated the 6th March, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2024

विनाइल क्लोराइड मोनोमर (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 3937(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने

के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनाइल क्लोराइड मोनोमर (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विनाइल क्लोराइड मोनोमर (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 के पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) यह 12 मार्च, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. पीसीटी-59011/48/2024-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में संख्याक का.आ. 3932(अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्याक का.आ. 862(अ), तारीख 25 फरवरी, 2022, का.आ. 1072(अ), तारीख 10 मार्च, 2022, का.आ. 4139(अ), तारीख 2 सितंबर, 2022, का.आ. 1123(अ), तारीख 9 मार्च, 2023 और का.आ. 1110(अ), तारीख 6 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2024

VINYL CHLORIDE MONOMER (QUALITY CONTROL) AMENDMENT, ORDER, 2024

S.O. 3937(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Order, 2021, namely: -

1. (1) This order may be called the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Second Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 12th day of March, 2025”.

[F. No. PCT-59011/48/2024-PC.TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3932(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 862(E), dated the 25th February, 2022, S.O. 1072(E), dated the 10th March, 2022, S.O. 4139(E), dated the 2nd September, 2022, S.O. 1123(E), dated the 9th March, 2023 and S.O. 1110(E), dated the 6th March, 2024.